;fuofl Vh odl fMikVeV] MkDVj gjhflg xkj fo'ofo|ky;] lkxj ¼e-i-½
dkV'ku vkea=.k lpuk **(N.I.Q)**

क्र. / ए.ई. / आई.डब्ल्यू.डी. / 2015 / ई.डवल्यू. / 334 सागर, दिनांक :17.08.2015

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु मुहर बंद कोटेशन, वि.वि. में उचित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 21.08.2015 षायं 4.30 बजे तक विष्वविद्यालय यंत्री, कार्यालय में आमंत्रित किये जाते है । प्राप्त कोटेशन प्रभारी यूनिवर्सिटी वर्क डिपार्टमेंट अथवा उनके प्रतिनिधि अथवा समिति द्वारा खोले जायेगें ।

Ø-	dk;l dk uke	vuekfur ykxr	dk;l i.kl djus dh le; vof/k	l[;k
1	Supplying & Fixing of M.S. Pipe Garden bench L 1550mmXB 450mmXH 450mm Back 450mm of 14 gauge M.S. Pipe	1,00,000.00	10 दिवस	15 नग

S.No.	Particular	Unit	Quantity	Rate	Amount
AS PER SHEET ATTACHED					

(अ) कोटेषन प्राप्त होने की तिथि 21.08.2015 समय सायं 4.30

(ब) कोटेशन खोले जाने की तिथि 21.08.2015 समय सायं 5.00

(स) अर्नेष्ट मनी रू. 2000.00

fuEu ii= lyXu djuk vfuok;l g &

1. उचित श्रेणी में पंजीयन की वैध छायाप्रति ।
2. पेन नंबर एवं टिन नंबर प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
3. विश्वविद्यालय में नजदीकी रिश्तेदार नहीं होने का प्रमाण पत्र ।
   (fj'rnkjk dh ifjHkk"kk& पति, पत्नि, अभिभावक, पुत्र, पुत्री, प्रपोत्र, भाई, बहिन साला, बहनोई, सास, ससुर ।
4. वि.वि. में सूचीबद्ध ठेकेदारों को उपरोक्त प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य नहीं है ।

सहायक यंत्री
डॉ. हरीसिंह गौर विष्वविद्यालय सागर (म.प्र.)

ifr

....

....

ukV %& leLr fu;e] 'krsZ ,oa vU; foLr`r tkudkjh dk;kZy; ls izkIr djsaA

fu;e ,oa 'krsZ &

1. कार्य से संबंधित विस्तृत स्पेसीफिकेशन, लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रभावशील होंगे ।
2. एकल अथवा समस्त कोटेशन बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा, एवं उचित कारणों से न्यूनतम कोटेशन दर के अलावा भी कोटेशन विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत किये जा सकेगें
3. निर्धारित समय सीमा के उपरांत प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं होगा, सशर्त कोटेशन स्वीकार नहीं होगें ।
4. प्राप्त कोटेशन की वैधता कोटेशन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से 120 दिनों तक रहेगी ।
5. दरें समस्त टैक्सों सहित होगीं, एवं किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं होगा ।
6. समस्त टैक्स इत्यादि की कटौती शासन के नियमानुसार की जावेगी ।
7. कार्य का भुगतान किये गये कार्य के वास्तविक माप के आधार पर होगा ।
8. कार्य का भुगतान कार्य पूर्ण होने के उपरांत एवं कार्य के प्रभारी का कार्य से संतुष्ट होने के उपरांत होगा ।
9. कोई भी निरस्त सामग्री अथवा कार्य, ठेकेदार को स्वयं के खर्चे पर कार्य स्थल से हटाना होगा ।
10. कोटेशन खोले जाते समय ठेकेदार अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं ।
11. कार्य से संबंधित विस्तृत डिजाइन, ड्राइंग, स्पेसीफिकेशन, भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रदान किये जायेगें ।
12. आवश्यकता होने पर प्रयोग होने वाली सामग्रियों की वांछित टेस्ट रिपोर्ट ठेकेदार को स्वयं के खर्चे पर प्रस्तुत करना होगी ।
13. आवश्यकता होने पर उचित कारणों से निर्माण कार्य अवधि में समय वृद्धि विष्वविद्यालय यंत्री द्वारा की जा सकेगी, जो कि मूल समय अवधि की 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । यदि उक्त समय वृद्धि सीमा में भी कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से दण्ड आरोपित किया जायेगा, जो कि अधिकतम, अनुबंधित राशि के 5 प्रतिशत तक सीमित होगा ।
14. निर्माण कार्य गुणवत्ता के अनुरूप न पाये जाने पर, जबकि वह निरस्त करना आवश्यक न हो दरों में उचित प्रकार से कटौती करके भुगतान किया जा सकेगा ।
15. ~~कार्य के भुगतान से 5 प्रतिशत राशि सुरक्षा निधि के रूप में काटी जावेगी, एवं जमा अर्नेस्ट मनी राषि, इस 5 प्रतिषत राषि में समाहित होगी।~~
16. कार्य अधूरा छोड़ने पर, कार्य किसी अन्य एजेंसी से, संबंधित ठेकेदार की रिस्क एण्ड कास्ट पर पूर्ण करवाया जा सकेगा ।
17. निर्माण कार्य अवधि की गणना कार्य आदेश प्रदान होने के 7 दिवस उपरांत की जावेगी ।
18. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं होगा ।
19. आवश्यकता होने पर दी गई क्वानटिटी सीट में दर्शाई गई क्वानटिटी में 30 प्रतिशत तक कमी या वृद्धि की जा सकेगी, जिसके लिये ठेकेदार का किसी भी प्रकार का क्लेम मान्यनहीं होगा।
20. यदि ऐसे निर्माण कार्य के लिये जहां लोक निर्माण विभाग अथवा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में स्पेसीफिकेशन/नियम विनिर्दिष्ट नहीं है, वह कार्य प्रभारी इंजीनियर के द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार करना होगा ।

21. कार्य का अंतिम भुगतान होने के एक वर्ष के भीतर देयक के पोस्ट अंकेक्षण/पोस्ट तकनीकी परीक्षण में यदि कार्य के किसी मद में अधिक राशि के भुगतान का होना पाया जाता है तो अधिक भुगतान की वह राशि संबंधित ठेकेदार से वसूली योग्य होगी, अथवा संबंधित ठेकेदार को कार्य के किसी मद में कम भुगतान हुआ है तो ठेकेदार उचित भुगतान पाने का अधिकारी होगा ।
22. यदि किसी कारणवश विश्वविद्यालय कार्य स्थल उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है, अथवा किसी अपरिहार्य कारणों से निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में अवरोध उत्पन्न होता है, जो कि कार्य बंद होने से 60 दिनों की अवधि तक पुनः प्रारंभ नहीं कराया जा सकता तब संबंधित ठेकेदार की इच्छानुसार कार्य का अनुबंध उसी स्थिति में समाप्त किया जा सकेगा, एवं किये जा चुके कार्य का भुगतान ठेकेदार को किया जायेगा ।
23. विभिन्न कार्य मदों के संपूर्ण लागत मूल्य में न्यून होने के आधार पर न्यूनतम मूल्य की गणना की जावेगी ।
24. आवश्यकता होने पर संस्था हित में निर्माण कार्य के दौरान डिजाइन, ड्राइंग में आवश्यक परिवर्तन प्रभारी यंत्री द्वारा किया जा सकेगा ।
25. कार्य की विभिन्न मदों की कुल लागत मूल्य का योग अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखा जायें, दरों में काटा–पीटी अथवा पुर्नलेखन किये जाने पर ठेकेदार के द्वारा वह दर प्रतिहस्ताक्षरित की जावें ।
26. एक कार्य के लिये ठेकेदार के द्वारा एक ही कोटेशन दिया जा सकेगा ।
27. ठेकेदार के द्वारा निर्माण कार्य में संलग्न मजदूरों को शासन द्वारा घोषित उचित न्यूनतम वेतन दरों से भुगतान किया जावेगा, एवं मजदूरों के हित में शासन द्वारा घोषित नियमों का पालन ठेकेदार के द्वारा किया जायेगा ।
28. कार्य सबलेट नहीं किया जा सकेगा ।
29. कोटेषन के प्रपत्रों में ठेकेदारों द्वारा किसी प्रकार का संषोधन नहीं किया जावेगा । यदि ऐसा पाया जाता है तब कोटेषन निरस्त माना जायेगा ।
30. निविदाकारों को 2 प्रतिषत राषि अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना होगी अर्नेस्ट मनी राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ.डी.आर., डी.डी. अथवा बैंकर्स चैक के रूप में जमा होगी, जो कि कुलसचिव डॉ. हरीसिंह गौर विष्वविद्यालय के नाम देय होगी ।
31. यदि निर्माण कार्य के दौरान निर्माण से संबंधित अन्य कोई आइटम करवाया जाना आवष्यक होता है, एवं जिसकी दर कोटेषन में मंजूर नहीं है तब ऐसे आइटम को ठेकेदार को करना होगा, एवं ऐसे कार्य की दर का निर्धारण विष्वविद्यालय यंत्री द्वारा दर विष्लेषण के आधार पर किया जावेगा ।
32. आवष्यकता होने पर चलित देयक का भुगतान किया जावेगा ।
33. यदि न्यूनतम निविदाकार अपनी दरें वापिस लेता है तब सुरक्षा निधि की राषि राजसात की जावेगी, एवं उन्हें संबंधित कार्य के लिये पुनः कोटेषन देने का अधिकार नहीं होगा ।
34. यदि अपरिहार्य कारणों से कोटेषन खोले जाने की घोषित तिथि पर कोटेषन नहीं खोले जाते है तब कोटेषन खोले जाने की सूचना अलग से प्रदान की जायेगी ।
35. General Condition of contract for C.P.W.D. shall be applicable.
36 ~~The Contractor shall submit an irrevocable Performance Guarantee of 5 % (Five Percent) of the tender amount in addition to other deposits mentioned elsewhere in the contract for his proper performance of the contract agreement.~~

~~The performance Guarantee shall be initially valid upto the stipulated date of completion plus 60 days beyond that.~~

~~37. ठेकेदार संलग्न अनुबंध पत्र पर हस्तक्षर अनिवार्य रूप से करे।~~

38. जब विल भुगतान के लिए देय होता है, ठेकेदार षुरू में प्रारूप कम्प्यूटरीकृत पैमाइष षीटों को प्रस्तुत करेगा और इन पैमाइष षीटों का भारसाधक इंजीनियर और अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि से निरीक्षण/टेस्ट जांच करया जाएगा। इसके बाद ठेकेदार इन जांच/परीक्षण जांच के दौरान किए जाने वाले ऐसे परिवर्तनों को अपनी कम्प्यूटरीकृत षीटों के प्रारूप में समाविष्ट करेगा और विधिवत् जिल्द बंन्द, मषीनी नम्बरों के पृष्ठों वाली कम्प्यूटरीकृत मूल्यांकन पुस्तक विभाग को प्रस्तुत करेगा।

39. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कुलपति का निर्णय अंतिम एवं उभयपक्षों को बंधनकारी होगा ।

सहायक यंत्री
डॉ. हरीसिंह गौर विष्वविद्यालय सागर (म.प्र.)

ifrfyfi %&

1. नोटिस बोर्ड
2. बेब –सेल
3. कुलपति के निज सचिव को सूचनार्थ ।
4. कुलसचिव के निज सचिव को सूचनार्थ ।
5. वित्ताधिकारी ।

सहायक यंत्री
डॉ. हरीसिंह गौर विष्वविद्यालय सागर (म.प्र.)

L1550mmx
B450mmx
H450mm

Back 450mm ,14
Gauge M.S Pipe

S.No.	Particular	Unit	Quantity	Rate	Amount
1.	Supplying & Fixing of garden bench, made of M.S. pipe size 50mmX25mmX14 Gauge as per attached drawing total wt. of bench should not be less than 40 Kg. including appoxy painting over an under cot of anti corrosive paint including all necessary holdfast embedded in cost in situ C.C. block 30 cm X 30 cm X30 cm. i/c earth work etc Complete as per direction of engineer In- charge.	Per No.	15		

Total In figure ………………………

Total in word …….……………………..

Signature of contractor

Name ………………………

Address ……………………..

…………………….